पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1961 की विविध न्यायिक वाद सं. 807

तय किया: 16.08.1965

याचिकाकर्ताओंः **विरेन्द्र कुमार शर्मा**

बनाम

उत्तरदाताः सदा नंद चक्रवर्ती और अन्य

भारत का संविधान–अनुच्छेद 225–राज्य अनुदान प्राप्त उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी–यह दावा करते हुए कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की, जिसने उनकी सेवा को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्ति में उनकी सेवा सम्पुष्टि नहीं हुई थी–यह अभिनिर्धारित किया गयाः अपीलीय प्राधिकरणों के अर्ध न्यायिक आदेश तभी पारित करने चाहिए जब संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो–यहां तक कि संधारणीयता के प्रारंभिक प्रश्न के संबंध में भी, अपीलकर्ता को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपना मन बनाने से पहले सुनवाई का अधिकार है–अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को नोटिस देने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि क्या उसकी सेवा की समाप्ति से पहले याचिकाकर्ता एक स्थायी प्रधानाध्यापक था या अस्थायी प्रधानाध्यापक था–– विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया। (पैरा 2,3,4)

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1961 की विविध न्यायिक वाद सं. 807

तय किया: 16.08.1965

याचिकाकर्ताओंः **विरेन्द्र कुमार शर्मा**

बनाम

उत्तरदाताः **सदा नंद चक्रवर्ती और अन्य**

माननीय न्यायाधीश/गणपूर्ति

आर. एल. नरसिम्हम, सी. जे., कमला सहाय और आर. जे. बहादुर, न्यायमूर्तिगण

सलाहकारः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः अधिवक्ता बिंदेश्वरी चौधरी

प्रतिवादी/प्रत्यथी: बी.डी. सिंह, के.डी. चटर्जी और सुशील कुमार मजूमदार, अधिवक्ता

आदेश

1. संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत यह आवेदन 13-9-1961 पर दायर किया गया था और एकमात्र राहत की मांग की गई थी कि सचिव, तदर्थ समिति, राज्य अनुदान प्राप्त उच्च विद्यालय, चांडिल, दिनांक 13-5-1961 के आदेश को रद्द करने के लिए एक उचित रिट के लिए याचिकाकर्ता की सेवा को उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में समाप्त कर दिया गया था।जब विवाद इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो विद्वान न्यायाधीशों ने अपने दिनांक 28.04.1965 के आदेश द्वारा इस आधार पर मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि इस न्यायालय के दो खंड पीठ के फैसलों, अर्थात्, कबुत्रा कुर बनाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1963 बी. एल. जे. आर. 858 और श्री गांधारी सिंह बनाम श्री दुर्गा उच्च विद्यालय, नया बाजार की प्रबंध समिति के बीच टकराव था। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1।/आर

4–01/55 E–5172 के तहत 7 सितंबर, 1955 को प्रकाशित नियमों के प्रावधानों के तहत क्या एक अपुष्ट शिक्षक को अपील करने का अधिकार है, इस बारे में लखीसराय, 1964 का एम. जे. सी. संख्या, 1096, दिनांक 1–4–1965 (पटना)।

2. लेकिन जब यह मामला इस पीठ के समक्ष आया तो श्री बिंदेश्वरी चौधरी, याचिकाकर्ता के लिए प्रस्तुत किया कि कानून का विवादित प्रश्न यहां विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि अब वह जो एकमात्र राहत चाहते हैं, वह अपीलीय प्राधिकरण, अर्थात् अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिनांक 5 सितंबर, 1964 (अनुलग्नक X) के आदेश को रद्द करना है, जिसने उनकी सेवा को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्ति में उनकी पुष्टि नहीं की गई थी।श्री चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और यदि उसे वह अवसर दिया गया होता, तो वह उस प्राधिकरण को संतुष्ट करने में सक्षम होता कि वह वास्तव में एक स्थायी प्रधानाध्यापक था न कि एक अस्थायी पदधारी।

3. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपीलीय अधिकारियों के अर्ध न्यायिक आदेश तभी पारित किए जाने चाहिए जब संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाए । यह हो सकता है कि रखरखाव का प्रश्न एक प्रारंभिक मुद्दा हो, लेकिन इस प्रारंभिक प्रश्न के संबंध में भी, अपीलार्थी को सुनवाई का अधिकार है। बिहार न्यायिक अकादमी अपीलीय प्राधिकरण अपना मन बनाता है। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का 5 सितंबर, 1964 का आदेश प्राकृतिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इसलिए हम इसे रद्द करते हैं। अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्ता और अन्य इच्छुक यों को नोटिस देना चाहिए अपील को सुनना चाहिए और कानून के अनुसार इसका निपटारा करना चाहिए।

4. जहाँ तक पीठ द्वारा संदर्भ के आदेश में उठाया गया कानूनी सवाल है, इस संबंध में, श्री चौधरी ने काफी हद तक स्वीकार किया कि यदि वह यह दिखाने में विफल रहे कि वह एक पुष्टिकृत प्रधानाध्यापक थे, तो उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अधिसूचना संख्या II/आर 4–01/55 ई.–5172, दिनांक 7 सितंबर, 1955 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 15 के तहत बनाए गए नियमों के नियम 15 के अर्थ के भीतर उनके खिलाफ बर्खास्तगी या आरोपमुक्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। लेकिन आदेश का उद्देश्य

केवल हेडमास्टर के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के परिणामस्वरूप एक अस्थायी पदधारी के रूप में उनकी सेवा को समाप्त करना है।इसलिए तथ्य का मुख्य प्रश्न कि क्या याचिकाकर्ता अपनी सेवा की समाप्ति से पहले एक स्थायी प्रधानाध्यापक था या एक अस्थायी प्रधानाध्यापक था, अपील का निपटारा करने से पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा तय किया जाना चाहिए।

5. इन कारणों से, याचिका को सीमित सीमा तक अनुमति दी जाती है और आदेश दिनांकित 5–9–1964 (अनुलग्नक एक्स) को रद्द कर दिया जाता है और अपीलीय प्राधिकारी को इस निर्णय में निहित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। अर्थ दंड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

6. अभिलेखों को तत्काल अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पटना को प्रेषित किया जाए।

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।